हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय
मुख्यालय : चण्डीगढ़

सेवा में

प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज
सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/(म0)राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/
प्रशिक्षको के प्रशिक्षण के लिये संस्थान, रोहतक/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
(लैदर गुडज), रिवाड़ी

क्रमांकः टी0पी0/1/2/3/डाईवर्जन/2016-17/ दिनांकः

विषयः प्लान तथा नॉन प्लान स्कीमों की सेलरी मद में अतिरिक्त बजट अलॉट करने बारे।

जैसा कि आपको विदित है कि वित्त विभाग हरियाणा द्वारा उनके क्रमांक 1/20/2016 (आर0पी0)-5पी0आर0 (एफ0डी0) दिनांक 28.10.2016 द्वारा संशोधित वेतन नियम 2016 हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तदानुसार इस विभाग के अधीन चल रहे सभी राजकीय संस्थानों को भिन्न-भिन्न प्लान तथा नॉन प्लान स्कीमों में सलंग्न अनुलंगनको अनुसार सेलरी मद में अतिरिक्त बजट की बांट की जाती है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि यह मानते हुए कि इस विभाग के अधीन चल रहे सभी राजकीय संस्थानों द्वारा चालु वित्त वर्ष में मास अक्तूबर 2016 तक के वेतन की अदायगी की जा चुकी है, सभी राजकीय संस्थानों के पास डी0ए0 मद में 21.11..2016 को शेष बची हुई राशि को वापिस ले लिया गया है। फिर भी किसी राजकीय संस्थान द्वारा किसी भी कर्मचारी को किसी कारणवश मास मार्च 2016 से अक्तूबर 2016 तक किसी मास की वेतन की अदायगी देय हो तो तदानुसार निदेशालय पर योजना अनुभाग से डी0ए0 मद में वांछित राशि की मांग पूर्ण औचित्य देते हुए कर ली जाए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते है कि संशेधित वेतनमान अनुसार आपकी संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा एरियर की गणना तुरंत करते हुए यदि सेलरी मद में आबंटित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो तदानुसार निदेशालय पर योजना अनुभाग से राशि की मांग कर ली जाए अथवा यदि आपके संस्थान के पास आवश्यकता से अधिक राशि उपलब्ध हो गई है तो उस राशि को तुरंत सरैन्डर कर दिया जाए। **यह सूचना हर हालत में निदेशालय पर ईमेल ditplg@gmail.com पर दिनांक 09.12.2016 तक भेज दी जाए** अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपकी संस्थान के पास सेलरी तथा डी0ए0 मद में निदेशालय द्वारा आज तक आबंटित राशि पर्याप्त है एवं आपको आबंटित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता नहीं है तथा न ही आप द्वारा इन मदों में कोई राशि सरैन्डर की जानी है। सूचना न देने एवं सूचना देरी से देने के लिए सम्बन्धित संस्थान का मुखिया/आदान-प्रदान अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

ह०/-
वित्त एवं योजना अधिकारी
कृते:निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांकः टी0पी0/1/2/3/डाईवर्जन/2016-17/19649 दिनांकः 23/11/16

उपरोक्त की एक प्रति अनुलंगनको सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित की जाती है:

1. हरियाणा राज्य में सभी खजाना अधिकारी।
2. निदेशालय पर नोडल अधिकारी वैबसाईट (विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु)।
3. वित्त एवं योजना अधिकारी (बजट ऑनलाईन करने हेतु)
4. रि-कन्सीलिएशन सहायक, योजना अनुभाग।

वित्त एवं योजना अधिकारी
कृते:निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा